



आदेश पत्रक

जिलाधिकारी
मेजा-प्रयागराज
(22-2)

न्यायालय: उपजिलाधिकारी
मण्डल: प्रयागराज, जलपथ: प्रयागराज, तहसील: मेजा
काद संख्या: 00444/2021

कंप्यूटरीकृत काद संख्या: T202102030800444
कानूना श्याम एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट जेरिये मुख्य ट्रस्टी अनिल कुमार कानम सरकार
अन्तर्गत धारा: 80, अधिनियम: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत काद कानम श्याम एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट सिलोधी खुर्द टप्पा कोहवार परगना खैरागढ तहसील मेजा जिला प्रयागराज जेरिये मुख्य ट्रस्टी अनिल कुमार पुत्र स्वो अधिकारनपथ निवासी ग्राम सिलोधी तहसील मेजा जिला प्रयागराज द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि ग्राम सिलोधी खुर्द तहसील मेजा स्थित गाटा सं० 67 मि० रकबा 34800 हे० में से रकबा 23067 हे० का संक्रमणीय नूनिषर फारतकार है। जिसपर भवन निर्माण व बाउन्ड्रीवाल प्रस्तावित व निर्माणाधीन है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, जिसे अकृषिक घोषित कर लगान युक्त किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार मेजा से स्थलीय जाँच करायी गयी। तहसीलदार मेजा द्वारा जाँच आख्या दिनांक 19.01.2021 में उल्लिखित किया है कि आवेदक अनिल कुमार मुख्य ट्रस्टी कानूनाश्याम एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम सिलोधी खुर्द के मुख्य ट्रस्टी श्री अनिल कुमार आराजी सं० 67 मि० रकबा 23067 हे० जेरिये कानम नूनिषर फारतकार है। मौके पर बाउन्ड्रीवाल रकबा 1000 हे० पर बाउन्ड्रीवाल बनाया गया है तथा विचालय हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तथा शेष रकबा 13067 हे० पर बाउन्ड्रीवाल नहीं है। इस प्रकार मौके पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जिसे अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। गाटा सं० 67 मि० रकबा 23067 हे० स्थित मौजा सिलोधी खुर्द टप्पा कोहवार परगना खैरागढ तहसील मेजा पर वादी द्वारा उक्त भूमि पर बाउन्ड्रीवाल कनामर विद्यालय हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जिसे खण्ड 2006 की धारा 80(1) के तहत अकृषिक घोषित करने हेतु तहसीलदार मेजा की आख्या दिनांक 19.01.2021 प्रेषित की गयी है। तहसीलदार मेजा की आख्यानुसार उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अवरोध नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा सिलोधी खुर्द टप्पा कोहवार परगना खैरागढ तहसील मेजा प्रयागराज की आराजी सं० 67 मि० रकबा 23067 हे० भूमि में राजस्व मुताबिक फारत अकृषिक प्रयोग में होने के फलस्वरूप धारा 80(1) उपरो राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने हेतु भू-राजस्व से मुक्त की जाती है। उपरो राजस्व संहिता की धारा 80(3) के अन्तर्गत उदासीनता शुल्क नू० 49370/- देय है, एवं न्यायिक ई० स्टाम्प नू०/49370/- जमा किया है, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार मेजा की आख्या दिनांक 19.01.2021 आदेश का अंग होगा। आदेश की प्रति इन्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ई० में किसी बात के रहते हुये भी उसे बिना शुल्क और भिदा रीति से निबन्धन हेतु उपनिबन्धक मेजा को भेजी जाय। तदनुसार परगना अमलदरमम जारी हो। यह अमलदरमम वर्धमान वर्ष सन्तीनी में अंकित होटी रहेगी। परकीवली जब आवश्यक कार्यवाही साखिल दफ्तर ही।
दिनांक 22 जनवरी 2021



(रंजित सिंह)
उप जिलाधिकारी
मेजा-प्रयागराज

राजस्थान सरकार
 सचिव, कृषि विभाग
 जयपुर
 दिनांक 03/11/2021

महोदय,

पञ्जाबी अनागत धारा 80 अधिनियम के अन्तर्गत जमीन मालिक मुख्यमंत्री कान्हाबाबा
 एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, सिलीडी तहसीला जयपुर जिल्ला प्रमाणपत्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जीव
 जाया जमीन लेखपाल व पत्र नियोजक दिनांक 03/11/2021 व आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्य खतीनी कोटी
 प्रमाणपत्र व हस्ताक्षरित लेखपाल द्वारा प्रस्तुत गजबंदी नामा स्वतंत्र जीव जाया राजस्व निर्दिष्ट ले
 खत है कि बीजा-सिलीडी खुर्द टाणा-कोटखार परगना खैरागढ तहसील में जयपुर जयपुर प्रमाणपत्र की
 खतीनी फसली सं० 1428-1432 की रकबा सं० 87 की गटा सं० 87 रकबा 3,460.00 से 2/3 भाग रकबा
 2,307.80 पर जयपुर के नाम खतीनी में खातेदार अनिल कुमार मुख्य मंत्री द्वारा नाम की गई है कि
 कृषि की गई भूमि में खेती का कार्य नहीं हो रहा है जायदाल में भी कृषि कार्य नहीं किया जाये। जीव जाया से स्पष्ट
 है कि जयपुरी सं० 87 रकबा 1,000.00 पर बाजमड़ी बनाया गया है तथा निर्माण हो रहा है। स्वतंत्र
 जीव से स्पष्ट है कि 87 रकबा 2,307.80 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवेदक का प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अस्तु बीजा सिलीडी खुर्द टाणा कोटखार परगना खैरागढ तहसील में जयपुर जयपुर प्रमाणपत्र की
 जयपुरी सं० 87 रकबा 2,307.80 के लिये मुख्य मंत्री द्वारा आवश्यक भूमि घोषित किए जाने हेतु अजय
 घोषित है।



राजस्थान सरकार
 सचिव, कृषि विभाग

22/12

22/12

22/12

300 300 300

सत्यमेव जयते

22/12

सचिव, कृषि विभाग
 जयपुर




- माहिका उपविभागा (च.)री काला इलाका
 बुधवार २०२१, २०२३ १५/५/५५ २०२३ २०२३ २०२३
 राज्याच्या कायद्याने मिळालेल्या सुद्धे वळती वळती परम
 सेवा वळती वळती वळती वळती
 कायदा इत्यादी राज्याच्या कायद्याने

नवम वळती वळती वळती

नवम वळती वळती वळती वळती वळती

वळती वळती वळती वळती वळती वळती वळती वळती



राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३
 राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३

राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३
 राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३
 राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३
 राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३

०३/०१/२०२३
 राज्याच्या कायद्याने

राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३
 राज्याच्या कायद्याने
 २०२३-२३